न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी श्रीमती सुनिता यादव, आर0ए0एस0

प्रकरण संख्या – **23 /2022**

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1956

उनवान

श्रीमति चन्द्रा पत्नी देवेन्द्र कुमार शर्मा निवासी शाहपुरा – प्रार्थीया

बनाम

1– लादू पिता देवा कुम्हार निवासी मिण्डोलिया तहसील शाहपुरा
2– मोती पिता नगजी कुम्हार निवासी मिण्डोलिया तहसील शाहपुरा
3– तहसीलदार शाहपुरा जिला भीलवाड़ा – विपक्षीगण

उपस्थिति :– **श्री विनोद कुमार सनाढ्य**
अधिवक्ता प्रार्थीया

–:: निर्णय ::–

दिनांक– **30.08.2022**

प्रार्थीया की ओर से प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विपक्षीगण के प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है – प्रार्थीया के **ग्राम रूघनाथपुरा पटवार हल्का रूघनाथपुरा** तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा में स्थित **आराजी नम्बर 123 रकबा 0.17 है0, 1024 रकबा 0.34 है0, 1025 रकबा 0.20 है0, 1026 रकबा 0.07 है0, 1027 रकबा 0.12 है0, 1028 रकबा 0. 06 है0, 1037 रकबा 0.02 है0, 1411/1022 रकबा 0.50 है0, 1412/1029 रकबा 0.08 है0, 1413/1030 रकबा 0.09 है0, 1414/1035 रकबा 0.10 है0, 1416/1038 रकबा 0.15 है0** कुल **किता** 12 रकबा **1.90** हैक्टेयर प्रार्थीया **काश्तकार** है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ौसी है। प्रार्थीया एवं विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमाचिन्ह नही होने से आये दिन सीमा सम्बन्धी विवाद उत्पन्न होता रहता है। अतः पत्थरगढ़ी करवाई जावें।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षीगण बावजूद सूचना उपस्थित नही होने से एकतरफा कार्यवाही की जाकर बहस अभिभाषक प्रार्थीया सुनी गई। हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी **ग्राम रूघनाथपुरा पटवार हल्का रूघनाथपुरा संवत् 2073 से 2076** तक का अवलोकन किया। उपरोक्त वर्णित आराजीयात् प्रार्थीया के खातेदारी में दर्ज होकर अपनी आराजीयात की पत्थरगढ़ी कराना चाहती है। अतः प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र **आंशिक स्वीकार** किया जाकर मौजा **रूघनाथपुरा** में स्थित प्रार्थीया की उपरोक्त की आराजीयात् में से **आराजी नम्बर 1023, 1024 रकबा क्रमशः 0.17 है0, 0.34 है0 कुल 0.51 है0 की किस्म क्रमशः गेमु पाल, गेमु नाडी होने से उक्त आराजियात को छोड़कर शेष किता 10 रकबा 1.39 हैक्टेयर** की पुख्ता पत्थरगढ़ी पक्षकारान् की मौजूदगी में अगर मौके पर अन्य कोई विवाद न हो तो व कोई प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन न हो तो कब्जे में हस्तक्षेप नही करते हुये पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु तहसीलदार शाहपुरा को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगढ़ी हेतु कमिश्नर फीस **800/–** रूपये कायम किये जाते है, जो प्रार्थीया से तहसीलदार शाहपुरा मौके पर प्राप्त करें। पत्थरगढ़ी मौका पर्चा पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम से हो। बाद तफसील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक **30.08.2022** को सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा (भीलवाड़ा) राज.

(सुनिता यादव)
उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलक्टर
शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपि :– तहसीलदार शाहपुरा के पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान् की मौजूदगी में नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावें।

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलक्टर
शाहपुरा जिला भीलवाड़ा